भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2167

(जिसका उत्तर सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का विनियमन

2167 श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान में देश में प्रचलन में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति पर कोई शोध/अध्ययन/पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय नागरिकों के पास वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का कुल मूल्य कितना है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान किसी भी रूप/क्षमता में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ काम करने वाले निगमों, संस्थाओं और/अथवा एक्सचेंज प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार के पास देश में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद को विनियमित करने के लिए कानून लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए एक निगरानी तंत्र/प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): क्रिप्टो परिसंपत्तियां या वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां (वीडीए) भारत में गैर-विनियमित हैं और सरकार इन परिसंपत्तियों पर डेटा एकत्र नहीं करती है।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, देश में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद को विनियमित करने के लिए कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (सीएफटी) जैसे विशिष्ट निरीक्षण उद्देश्यों के लिए, वित्तीय आसूचना निकाय भारत (एफआईयू-आईएनडी) को मनी लॉन्ड्रिंग

रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीएसएपी) को रिपोर्टिंग एंटिटीज (आरई) के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के पास मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अवैध गतिविधियों का पता लगाने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, पिछले साल जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) सिंथेसिस पेपर, तथा 'क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर जी20 रोडमैप' को अपनाया गया था। यह सिंथेसिस पेपर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति और विनियामक अवसंरचना प्रदान करता है, जो उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए विशिष्ट जोखिमों सहित जोखिमों की पूरी श्रृंखला का पता करता है। भारत सहित सभी क्षेत्राधिकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने देश-विशिष्ट विशेषताओं और जोखिमों का मूल्यांकन करें, और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए किसी भी आवश्यक गतिविधि पर उपयुक्त रूप से विचार करने के लिए मानक-निर्धारण निकायों और जी20 के साथ जुड़ें।

*****